सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को अगस्त, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. सुश्री मीरा स्वरूप, एसएस एवं एफए (वित्त)।
14. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आ.का.वि.
15. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आ.का.वि.।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।

    वरिष्ठ सलाहकार (सीएवंसी/एफएसएलआर/एफएस और सीएस)/ संयुक्त सचिव (बीसी एवं आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/ सलाहकार (आईईआर) सीएएए।
18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एवं सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

ए-45011/4/2021-प्रशासन III

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषयः अगस्त, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1 वृहत-आर्थिक अवलोकन

2021-22 की पहली तिमाही (तिमाही1) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 2020-21 की पहली तिमाही (तालिका1) की तुलना में 20.1प्रतिशतरहने का अनुमान है। इसके साथ, पूर्व-महामारी वर्ष 2019-20 के तिमाही1 उत्पादन का 90.8प्रतिशतसे अधिक, ठीक हो गया है। क्रमिक रूप से, पिछली तिमाही की तुलना में 2021-22 के तिमाही1 आउटपुट में गिरावट को 2020-21 की चौथी तिमाही में कुल जनसंख्या के 4.7प्रतिशतसे 2021-22 के तिमाही1 में 24.5प्रतिशततक टीकाकरण कवरेज में तेजी से वृद्धि द्वारा नियंत्रित किया गया है। मांग पक्ष पर, सरकारी खपत में 107.4प्रतिशतऔर निर्यात में 108.7प्रतिशतपर पूर्व-महामारी के स्तर की वसूली सबसे महत्वपूर्ण है। निजी खपत में बहाली90प्रतिशतके करीब है। आपूर्ति पक्ष पर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महामारी से पहले के स्तर की सबसे महत्वपूर्ण बहाली108.2प्रतिशतहै और विनिर्माण क्षेत्र में बहाली लगभग 96प्रतिशतहै।

वास्तविक क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के असंतुलन के कारण कोविड-19 के प्रकोप से पहले मंदी के बावजूद राजकोषीय समेकन उपायों और संरचनात्मक सुधारों की पीठ पर भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे मजबूत हैं। लॉकडाउन के सूक्ष्म संचालन और एक कैलिब्रेटेड राजकोषीय प्रोत्साहन ने मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों को अर्थव्यवस्था में उच्च गतिविधि स्तरों की त्वरित बहाली को गति प्रदान करने की अनुमति दी है। आत्मानिर्भर भारत मिशन के तहत व्यापक संरचनात्मक सुधार, केंद्रीय बजट 2021-22 और तेजी से बढ़ते टीकाकरण अभियान अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को और मजबूत करेगा और आने वाले वर्षों में भारत को एक मजबूत और सतत विकास पथ पर वापस लाएगा।

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए 02 अगस्त 2021 को जारी जुलाई-सितंबर 2020 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के नवीनतम तिमाही बुलेटिन के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर, यानी श्रम की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। अप्रैल-जून 2020 में 35.9प्रतिशतसे जुलाई-सितंबर 2020 में 37.0प्रतिशत; श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी कार्यरत श्रम बल, अप्रैल-जून 2020 में 28.4प्रतिशतसे बढ़कर जुलाई-सितंबर 2020 में 32.1प्रतिशतहो गया, जबकि इसी अवधि में बेरोजगारी दर 20.9प्रतिशतसे घटकर 13.3प्रतिशतहो गई। क्षेत्र-वार वृद्धि दर अनुबंध में तालिका में दी गई है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

(i) अनुदान 21-22 की अनुपूरक मांगों और 2017-18 के लिए अनुदान की अधिक मांगों का पहला बैच संसद में पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। इसके लिए कानून मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी की थी।

(ii) माननीय वित्त मंत्री के सैद्धांतिक अनुमोदन से, आजादी के अमृत महोत्सव समारोहों के तहत भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रचालित सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला जारी करने का प्रस्ताव है।

(iii) एक मसौदा अधिसूचना, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधान, ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ, उप-धारा (2) के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) में रखी गई।

(iV) माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अधिनियम (आईएफएससीए) द्वारा निम्नलिखित संशोधन/अधिसूचनाएं की गई हैं:

(क) आईएफएससी में सदस्यता के लिए अपनी प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाली विदेशी कंपनियों को दी गई छूट
(ख) कंपनियां (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2021
(ग) कंपनियां (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) तीसरा संशोधन नियम, 2021

(V) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रेस नोट में अधिसूचित परिवर्तनों को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण भिन्न लिखत) नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(क) अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भारतीय इकाई द्वारा घटते हुए निवेश का उपचार।
(ख) आवश्यक जांच के साथ बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश के लिए क्षेत्रीय सीमा को 49 से बढ़ाकर 74प्रतिशतकरना।

(Vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम को दिनांक 3अगस्त 2021कीराजपत्रित अधिसूचना के तहत गैर वैयक्तिक प्रवासी भारतीयों के चुनिंदा समूह को एफपीआई आवेदकों के संघटक होने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया है।